कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें
जिला–कोरबा (छ.ग.)

–:: विज्ञापन ::–

क्रमांक /स्था.–ब/सीधी भर्ती/2012 कोरबा, दिनांक ....

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के ज्ञापन क्रमांक–1734/वित्त/ब–4/चार/रायपुर, दिनांक 24.11.2011 एवं संचालक पशु चिकित्सा सेवायें छत्तीसगढ, रायपुर का ज्ञापन क्रमांक–796/स्था.–ब/एम–115 /2011–12/ रायपुर, दिनांक 09.02.2012 तथा ज्ञापन क्रमांक–1510/स्था–ब/एम–115/2011–12 रायपुर, दिनांक 09.03.2012, संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ छ.ग.रायपुर का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 1701, दिनांक 16.03.2012 द्वारा कार्यालय के अधीनस्थ रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु दी गयी अनुमति के अनुसार छ.ग. के स्थानीय निवासी उम्मीद्वारों से नीचे तालिका में दर्शाए विवरण के अनुसार रिक्त पदों के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2012 को सांय 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. पद – वाहन चालक, कुल रिक्त पद (02)
   पुनरीक्षित वेतन बैड–5200–20200 ग्रेड वेतन 1900

क्र.	पद का विवरण	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित (मुक्त)	योग
1	2	3	4	5	6	7
01	02	01	–	–	01	02

शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ :–

1. पूर्व माध्यमिक (आठवीं कक्षा) उत्तीर्ण
2. हल्के वाहन चलाने का जीवित ड्रायविंग लाईसेंस, कौशल परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा।

2. पद – आकस्मिक निधि स्वच्छकर्त्ता/परिचारक सह–चौकीदार – कुल रिक्त पद 30
   पुनरीक्षित वेतन बैंड 4750–7440 ग्रेड वेतन 1300 प्रथम तीन वर्ष तक जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित मासिक दर एवं तत्पश्चात् वेतनमान देय होगा।

क्र.	पद का विवरण	S.T.	S.C.	O.B.C.	U.R.	Total
1	2	3	4	5	6	7
01	पुरूष	03	03	02	08	16
02	महिला	01	02	02	05	10
03	विकलांग	–	–	–	–	–
04	भू0पू0सै0	–	01	01	02	04
	योग–	04	06	05	15	30

शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएँ :–

1- प्राथमिक परीक्षा (पॉचवी कक्षा) उत्तीर्ण

3. नियम एवं शर्तें :–

निर्धारित आयु सीमा :– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

1– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

2– ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष अधिक न हो।

3– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

4– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

5– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करने वाले आवेदकों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।

6– आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रम विभाग की अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

7– राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

8– विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। बशर्तें विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो।

9– छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु 38 वर्ष रहेगी।

10– छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी। जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :–

1- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–3/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के द्वारा जारी किये गये निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी परन्तु उक्त परिपत्र के पैरा (5) के अनुसार अन्य विशेष वर्ग जैसे – छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग

(गैर क्रीमिलेयर) महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवारों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2- आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ में की जाएगी।

1- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वास्तविक निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।

2- आवेदक का छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न करें।

3- आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदक के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

4- आवेदन पत्र में नियत स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हाल ही के पासपोर्ट साईज का फोटो अनिवार्य रूप से चिपकायें।

5- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास एवं जाति प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

6- आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.04.2012 तक कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) के पिन कोड 495677 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा। रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन पत्रों के अलावा अन्य साधनों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

7- विज्ञप्ति जारी दिनांक से पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

8. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

9- प्रत्येक पद हेतु आवेदन पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व पता अवश्य लिखें साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना होगा।

10- रूपये 5/– का डाक टिकिट लगा हुआ एक खाली लिफाफे 9X4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

11- आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्हमान लिया गया है, तथा चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हमान पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

12- ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. किसी भी प्रवर्ग के महिला अभ्यर्थी न होने की दशा में उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से पद की पूर्ति की जावेगी।

14. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जावेगी, उस संबंध में किये गये यात्रा हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

15. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

16. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे, ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

17. छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।

18- विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला कोरबा (छ.ग.) को रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, कोरबा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

19- विज्ञप्ति से संबंधित जानकारी जिला कार्यालय, कोरबा के वेबसाईट http: korba.gov.in/ में देखी जा सकती है।

20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ उच्च स्तरीय छानबीन समिति, रायपुर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

नियुक्ति के लिए अपात्रता :–

1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा में पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो या अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001, को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

चयन प्रकिया :–

1. वाहन चालक पदो के लिए उम्मीदवार से प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की दक्षता/कौशल अर्थात प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के श्रेणीवार 5 गुना उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तदुपरांत शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक व प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जावेगी।

उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें
जिला–कोरबा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

उप संचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला कोरबा (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :...
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :...
3. पिता/पति का नाम :...
4. (अ) जन्म तिथि अंकों में :...
   (ब) शब्दों में :...
   (स) दिनांक 01.01.2012 को आयु वर्ष...............माह............दिन........
5. लिंग (पुरूष/महिला) :...
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :...

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

7. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :...
   :...
8. स्थायी पता :...
   :...
9. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :...
10. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपवि के सदस्य हैं ? :...
11. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है ? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संलग्न करें) :...
12- क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें. :...
13. क्या आवेदक विकलांग है ? यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड के सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें. :...
14. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :...
15. क्या आवेदक विवाहित है ? हां/नहीं :...
16. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :...
17. जीवित संतानों की संख्या :...
18. यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्मतिथि. :...
19- संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची : 1.................2................3.................4.....................5.................

दिनांक:...........................
स्थान :...........................

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख, मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है यदि झूठे पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी.

दिनांक.......................... आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान............................